राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 833वी बैठक दिनांक 22.02.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 833वीं बैठक दिनांक 22.02.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण					
1.	**9258/2022**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
2.	**10961/2023**	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	**10897/2023**	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	**10900/2023**	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	**10896/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
6.	**10888/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	**10881/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	**9190/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	**10889/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	**10920/2023**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	**10890/2023**	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
12.	**10891/2023**	1(a)	पत्थर एवं एम-सैण्ड खदान	For ToR	Defered to next meeting
13.	**8777/2021**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
14.	**8464/2022**	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

					SEAC को अग्रेषित
15.	10688/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	10137/2023	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10481/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	10589/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
19.	10499/2023	1(a)	पायरोंफाईलाइट एवं डायोस्पोर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
B. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त एजेण्डा					
20.	9114/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	10774/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
22.	8743/2021	7(i)	CMSWMF	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9474/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
24.	9028/2022	1(a)	मैग्नीज ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9029/2022	1(a)	मैग्नीज ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9613/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
27.	9912/2023	7 (da)	CBMWTF	जारी ToR पर पुनः विचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
28.	10822/2023	1(a)	पत्थर एवं एम–सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	Defered to next meeting
29.	703/2012	8 (a)	Residential project	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
30.	10342/2023	1(a)	मैगनीज ऑर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
31.	8099/2021	1(a)	**मार्बल खदान**	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
32.	10322/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
33.	**संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला आगर–मालवा**			अनुशंसित	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. प्रकरण क्र. 9258/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट, निवासी– इन्द्रा नगर, करबई, जिला महोबा (उ.प्र.) – 210424 द्वारा पत्थर ख़दान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 499, ग्राम घटाहरी , तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715 वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में MoEF&CC द्वारा *F.No.IA 3-3/4/2024-IA.III[E230791]*, दिनांक *08-01-2024* को ***Stay imposed by Hon'ble Supreme Court with reference to the SOP dated 7th July 2021 and OM dtd 28th January 2022-reg*** कार्यालयीन ज्ञापन जारी किया गया है जिसमे उल्लेख है :–

> *"4........the Ministry issued an OM dated 28th January,2022 for circulating the above order of Hon'ble supreme Court to all the EAC and SEIAAs/SEACs.In view of the above observations of the Hon'ble supreme Court, violation proposals pertaining to all the States except the State of Tamil Nadu were being appraised at the Central level and the respective SEIAAs/SEACs.*
>
> *5. However,the Hon'ble Supreme Court in W.P.(c) No.1394/2023 titled Vanashakti vs. Union of India, has stayed the operation of both the Office Memoranda dated 7th july 2021 and dated 28th January 2022 issued by this Ministry".*

उक्त आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेश जारी होने तक violation **सम्बंधित परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

2. प्रकरण क्र. 10961/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि. अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लश्कर, पर्यावास भवन , ब्लॉक –1, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 73,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.920 हे0, खसरा क्रमांक 795, ग्राम सांवरी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715 वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह पाया गया कि उक्त खदान के समीप कोई पुल नही हैं । SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 10897/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. अधिकृत प्रतिनिधि श्री गयाप्रसाद अंजने, पर्यावास भवन , ब्लॉक –1, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) – 462011 द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनूअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.50 हे0, खसरा क्रमांक 1191, 1, ग्राम गोवर्दे, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह पाया गया कि उक्त खदान के समीप कोई पुल नही हैं । SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10900/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री हरिशंकर शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनूअल विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 2084 ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह पाया गया कि उक्त खदान के समीप कोई पुल नही हैं । SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. प्रकरण क्र. 10896/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मधू अग्रवाल, निवासी– ग्राम बिजुरी, पोस्ट– बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनुपपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.12 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 57, ग्राम डोगरिया खुर्द, तहसील तहसील कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".. समिति ने पाया कि खदान उत्तर दिशा में एक पक्का रोड लीज क्षेत्र से लगी हुई है। निर्धारित स्थानवार मापदण्ड के अनुसार 200 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता हैं अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

6. प्रकरण क्र. 10888/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर सोलंकी, निवासी– ग्राम लफनगॉव, तहसील राजपुर जिला बड़वानी (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19,400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 4/1, ग्राम कलालदा, तहसील सेंघवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी के आदेश क्र. 846 दिनांक 16.08.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 15.08.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 10881/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री योंगेन्द्र यादव निवासी– ग्राम तिनश्याई, समसाबाद जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7695 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 76/1,78/1/1 ख ग्राम विछिया, तहसील शमसाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा, खनिकर्म भोपाल का पत्र क्र. 9734 दिनांक 15.06.2015 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति एवं लीज अनुबंध दिनांक 17.02.2016 अनुसार लीज की वैद्यता दिनांक 17.02.2016 से 16.02.2026 तक अनुबंध निष्पादित किया गाया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.02.2026 तक वै मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वेयर हाउस से न्यूनतम 100 मीटर तक** " नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में क्रेशर इकाई स्थापना नही की जायेगी।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

8. प्रकरण क्र. 9190/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जोशी, निवासी– 2/14, झरनेश्वर काम्पलेक्स जवाहर चौक न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा नं. 20/1, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम लीलाखेड़ा, तहसील व, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 6668 दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 03.05.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले ,कृषि भूमि एवं अस्थाई सेड से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ी की संरचना एवं प्राकृतिक ड्रेनेज पेटर्न पर खनन संक्रिया के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iv) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के**

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10889/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल कुमार मौर्य निवासी— केवट, छोटा उदयपुर जिला छोटा उदयपुर (गुजरात.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224, 225 रकबा 1.4 हेक्टेयर, ग्राम अचपई, तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक—ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट—1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अलीराजपुर के पत्र क्र. 370 दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 09.06.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10920/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद लोहाटी निवासी लोहाटी भवन, सुभाष रोड पोस्ट आफिस के पास वार्ड न. –5 राघौगढ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष ,खसरा नं. 74/1/1 रकबा 1.50 हेक्टेयर, ग्राम अल्लीपुरा, तहसील राघौगढ जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के पत्र क्र. 464 दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 26.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **रेलवे लाईन से न्यूनतम 100 मीटर तक** " नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

11. प्रकरण क्र. 10890/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री यशवर्धन भार्गव निवासी भार्गव कालोनी गुना जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19665 घनमीटर प्रतिवर्ष ,खसरा नं. 61 रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम पिपरौदा खुर्द, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715 वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पूर्णतः परिपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VII. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकथाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XVI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10891/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री श्यामलाल निवासी ग्राम चुन्दांपुरी खुर्द जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सैण्ड, 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा नं. 38 रकबा 6.66 हेक्टेयर, ग्राम भिलावली, तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715 वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 8777/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह आत्मज श्री महिपाल सिहं बघेल, निवासी एम.जी. रोड़, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 762, ग्राम अरनिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत खदान क्षेत्र के समीप आबादी एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 8464/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महालक्ष्मी माईन्स एवं मिनिरल्स निवासी वार्ड. क. –4 कैमोर, तहसील विजयराघौगढ जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7353** घनमीटर प्रतिवर्ष, **खसरा नं. 1179/2 रकबा 1.468 हेक्टेयर, ग्राम मुडगुड़ी, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के दोनो ओर सड़क परिलक्षित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। अतः पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 10688/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री सतेन्द्र सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनूअल विधि), उत्पादन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 551, ग्राम मोतिलसिर, तहसील बारेली, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 516 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार पक्के मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 10137/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र सिकरवार आत्मज श्री पुरन सिंह सिकरवार, निवासी– कोलखेरा,चौकी के पास जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 878, 886, 887, 896, 897 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम कोलखेरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 1189 दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सड़क से न्यूनतम न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 10481/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वानू वासुनिया पत्नी लौग सिंह, निवासी– घोघदरा फलिया ग्राम मथना , जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7275 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 1008 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम मथना, तहसील भवरा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क्र. 1062 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से दिनांक 03.01.2022 से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10589/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नाजमा इंसाफ पत्नी श्री, मोहम्मद इंसाफ निवासी– बी.पी –73 लेक पर्ल गार्डेन एयरपोर्ट रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 34,779 टन प्रतिवर्ष, खसरा 842 रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम रतनपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में कलेक्टर जिला भोपाल से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जयेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 10499/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईस्टर्न मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रणव जैन, निवासी–हर्षमउ, तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ (म.प्र.) द्वारा पायरोंफाईलाइट एवं डायोस्पोर खदान, उत्पादन क्षमता 10648 टन प्रतिवर्ष रकबा 4.272 हेक्टेयर, खसरा 132, 133, 135, 130, 131/2 ग्र्राम गढ़ी, तहसील महराजपुर, जिला छतपपुर (म.प्र.) हेतु जारी ToR में संशोधन के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में निम्ननुसार अनुशंसा की गई है।

"...परियोजना प्रस्तावक ने समिति के संज्ञान में लाया है कि उनका प्रकरण समिति की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए तैयार करने हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसें (Pyrophillite and Diaspore-40648 TPA) उल्लेखित है, जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता Pyrophillite and Diaspore-10648 टीपीए है । अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को अनुशंसित टॉर में उत्पादन क्षमता Pyrophillite and Diaspore-40648 TPA के स्थान पर Pyrophillite and Diaspore-10648 टीपीए पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।..."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में (SEAC) की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में प्रकरण में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्राधिकरण की 811वी बैठक दिनांक 09.11.2023 एवं प्राधिकरण द्वारा जारी ToR पत्र क. 20710 दिनांक 23.11.2023 मे " उत्पादन क्षमता Pyrophillite and Diaspore-40648 TPA के स्थान पर Pyrophillite and Diaspore-10648 टीपीए पठन किये जाने का निर्णय लिया गया है । परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त एजेण्डा

20. प्रकरण क्र. 9114/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बनाफर ग्रेनाइट, निवासी ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.416 हे0, खसरा क्रमांक 1901, 1935, 1937, 1938 ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 701वी बैठक दिनांक 15.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ निम्नानुसार जानकारी सहित प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें :–

1. *कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।*

2. *कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।*

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.मेल दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से उपरोक्त वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्र. 2945 दिनांक 09.09.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अंतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 08.08.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना

(संजीव सिंह) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 10774/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कोथरू रॉव, अधिकृत व्यक्ति श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, निवासी–बछरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,12,470 टन प्रतिवर्ष, रकबा 7.507 हे0 खसरा क्रमांक 352, 354/6, 354/8, 355, 379, 380/3 (नया खसरा नं. 510, 669, 640/3), ग्राम– भदावर, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 707 वी बैठक दिनांक 29.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परिवेश पोर्टल पर समस्त दस्तावेज के. प्रभाकर राव के नाम से अपलोड है जबकि ऑनलाईन आवेदन मेसर्स कोथरू रॉव, अधिकृत व्यक्ति श्री राधाकृष्ण अग्रवाल के नाम से किया गया है जिसके कोई भी वैधानिक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ मेसर्स कोथरू रॉव, अधिकृत व्यक्ति श्री राधाकृष्ण अग्रवाल के वैधानिक दस्तावेज एवं उत्पादन क्षमता का Production Plan के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.मेल दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से उपरोक्त वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 701वी बैठक दिनांक 15.12.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **Case No 8743/2021:** Prior Environment Clearance for Proposed Integrated Solid Waste Management (ISWM) project processing of 850 TPD Integrated Solid Waste comprises of composting plant and secure land filling facility (3,80,000 cum) at AdampurChawani, Dist. Bhopal (M.P.). Land Area - 10.1171 ha by M/s Green Resources Solid Waste Management Pvt. Ltd, Shop No. 4, Sai Park, Misrod, Hoshangabad Road, Dist. Bhopal, MP – 462026. Email:grswmpl@gmail.com Mob: 8720864768Cat. - 7(i) Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)

"उक्त प्रकरण में SEAC की 706 वीं बैठक दिनांक 28.12.2023 को "पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान" किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 55 से 58 पर अंकित है।

*उक्त प्रकरण में चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री सुभाष सी. पाण्डेय, पर्यावरणविद परियोजना सम्बंधित मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित हुए।*उनके द्वारा संयंत्र की क्षमता के संबंध में (850 टीपीडी और उत्पादन ठोस अपशिष्ट 938.12टीपीडी),आरडीएफ और कम्पोस्टिंग प्रक्रिया के बाद उत्पन्न *inert waste* के रखाव *legacy waste* के प्रबंधन के सम्बन्ध में, *Improper Handling and storage of waste,परियोजना स्थल के निकट स्थित नदी एवं वन क्षेत्र के सुरक्षात्मक उपाय आदि* के संबंध में अवगत कराया गया।

उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त*श्री सुभाष सी. पाण्डेय, पर्यावरणविद के द्वारा उठाये मुद्दों के* ***स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंवे।"***

उपरोक्तानुसार श्री उमेश मिश्रा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स क्रिएटिव एनवायरो भोपाल मप्र और परियोजना प्रस्तावक श्री मयंक दुबे, मेसर्स ग्रीन रिसोर्सेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल और श्री सौरभ सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगर निगम भोपाल से आज प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

श्री सुभाष सी. पाण्डेय, पर्यावरणविद द्वारा उठाये गए मुद्दे,के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि *SEAC* समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान उनके द्वारा उठाये गए मुद्दे का जबाब प्रस्तुत कर दिया गया है।परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अनुरोध किया गया कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर शीघ्र ही निष्पादन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी पर्यावरण स्वीकृति में विलम्ब होने पर दिनों–दिन अपशिष्ट बढ़ता ही जायेगा।अतः पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्रताशीघ्र प्राप्त हो जाये,ताकि परियोजना स्थल के आस –पास के क्षेत्रों में इसका दुष्प्रभाव पड़ने से रोका जा सके।

श्री सुभाष सी. पाण्डेय, पर्यावरणविद द्वारा उठाये गए मुद्दे, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परियोजना सम्बंधित दी गई दिशा निर्देशों का अनुपालन, माननीय सर्वोच्च न्ययालय में प्रकरण सम्बंधित दायर याचिका आदि पर चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक प्राधिकरण द्वारा चर्चित निम्नानुसार सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे :–

A- श्री सुभाष सी. पाण्डेय, पर्यावरण विद से प्राप्त शिकायत दिनांक 01.12.23 के सम्बन्ध में

1) *In the said proposal , environmental clearance is sought for operation of RDF processing unit having 850 TPD capacity and sanitary land filling having 3,80,000 cubic meter capacity to establish the integrated municipal solid waste management facility at adampurchhawni, an outskirt of capital city Bhopal.*

2) *Main grievance of the applicant is against operation of RDF processing unit having a small capacity of 850 TPD only.*

3) *As per the MPPCB and joint committee section report(constituted by Hon'ble NGT)the said RDF processing plant is running only 8-9 hours daily, which concludes that about 600-700 TPD of solid waste is processed on daily basis, whereas the dally waste generation in Bhopal city is nearly 1500tpd as of now.*

   Therefore, there is vast gap between generation and consumption of solid waste. Difference of unaddressed waste is about 900 TPD which in turn is converted into legacy waste on a daily basis. This is in addition to old legacy waste of more than 2 lakh tonnes which was brought here from old dumping site-bhanpur khanti. That is why, problem is still persists and has become more critical. At present, more than 8 lakh tonnes of legacy waste is accumulated and scattered all around the campus and even outside of the boundary at the farms of the villagers. Moreover, leachate, a very hazardous chemical coming out of solid waste is also found spread everywhere and collected out of the broken boundaries as a chemical pond and is flowing directly in to the farms of the villagers.

   The said RDF processing unit is closed since July 2023 without any reasonable ground. Therefore, this serious problem will not be resolved unless Bhopal municipal corporation /project proponent will go for installing a processing plant having 1500 TPD efficiency or more and run it for 24/7 basis.

4) *Because of this key reason, very large amount of legacy waste is accumulated at impinged dumping site. Then, it becomes cause behind fire at the site.As many as 6 times, this illegal and unauthorized site caught fire resulted enormous air pollution since January 2018,when the site had started.*

5) *Based upon the above facts, applicant had filed a petition against BMC for their continuous non-compliance with the solid waste management rules,2016 and gross violation of environmental laws given in this behalf (in OA 18/2023 Dr. Subhas C. Pandey Vs Bhopal Municipal Corporation &ors) before Hon'ble National Green Tribunal for proper adjudication. Finally, green tribunal imposed 1.80 crore of penalty as environmental compensation on BMC against non-scientific disposal of solid waste at Adampur Chhawni. In addition, Hon'ble Tribunal had directed to the BMC to strictly comply with recommendations given by the joint committee for the same.*

6) *At present, the case of adampur dumping site is pending before Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal number 6174 of 2023 (Bhopal Minicipal corporation Vs Dr. subhas C. Pandey & Ors and will be resolved soon in the larger interest of public.*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7) *But, unfortunately status of disposal of solid waste at ground zero is not improved. Situation has become more critical and alarming with respect to surface and groundwater contamination, ambient air quality, leachate percolation at soil, sub-soil and ground water sources, disturbance of wildlife, accumulation of huge amount of legacy waste etc. The reason behind it all is installation of insufficient RDF processing unit.*

B- **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परियोजना सम्बंधित दी गई दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें।**

C- **प्राधिकरण द्वारा परियोजना के संबंध में चाही गई निम्न जानकारी प्रदान करें।**

1. वर्तमान में कितने टन कचरा प्रतिदिन एकत्रित हो रहा है।
2. 850 टन प्रतिदिन क्षमता का आधार क्या है।
3. Projected population पर प्रतिदिन कितना कचरा अनुमानित है प्रस्तावित सुविधा से इसे निराकृत करने की संभावना क्या है।भविष्य के कचरे के निष्पादन हेतु क्या कार्य योजना प्रस्तावित की जावेगी।
4. परियोजना के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरण सम्बंधित जानकारी एवं अद्यतन स्थिति।
5. परियोजना स्थल में पूर्व से जमा कचरा की मात्रा क्या है एवं इसे उपचारित एवं निराकृत करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है एवं भविष्य हेतु क्या कार्य योजना है।
6. इसी प्रकरण में MoEF & CC द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की जानकारी एवं इस पर किये गये कार्यो की जानकारी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त बिन्दु A, B, एवं C की चाही गयी समस्त जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त के सन्दर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा ईमेल दिनांक 22.02.24 के माध्यम से प्राधिकरण को जानकारी प्रेषित की गई,जो निम्नानुसार है :–

- PP has submitted the letter from Nagar Nigam Bhopal dtd. 04.12.23 regarding waste generation of 850 TPD in Bhopal and submitted that weigh bridge has been provided for assessment of waste and records has been maintained.
- Two projects i.e. 400 TPD Torrefied charcoal plant (dry waste) and 400 TPD Bio-CNG plant (wet waste) are under pipe line with M/s NTPC and M/s RNG Pvt. Ltd. As soon as this project will be commissioned, the waste disposal considering the future scenario shall be addressed.
- Justification of waste proprtinate including Old waste and its disposal agency will install 05 Nos. of trammels of 250 ton capacity of each to process about 1250 MT per day. Currently approximately 1.5 Lacs MT of Old waste nees to process. RDF produced during process is sent to waste to energy plant and cement plant and recovered compost is being sold to farmers and Govt. agencies like NFL and

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Kribco. Further as soon as EC shall be recived, secure land fill operation will be started for disposal of inert waste.

- Regarding execution of old proposal of waste to energy plant PP has submitted the the environmental clearance was previously obtained by M/s Bhopal Municipal solid Waste Pvt. Ltd. Mumbai,for SLF and Power Plant,vide dated 11.01.2019, from MoEF & CC but not turned up.Later on BMC has taken over the project started composting plant.Instead of awaiting the disposal of MSW by WTE,BMC has decided to adopt the composting and land fill option for present circumstances.
- PP has also submitted reply filed at honourable Supreme Court against the case done by Dr. Subhash C Pandey and the copy of order passed by Supreme Court and NGT for penalty.

प्राधिकरण द्वारा आवेदक का पक्ष सुनने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त जानकारी के बाद माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परियोजना सम्बंधित दी गई दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं की गई कार्यवाही के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा किये गये प्रतिवेदन का भी अध्ययन किया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 में *recommendations point no.*–1 पर उल्लेखित है *"The integrated municipal solid waste management facility working at village Adampur Chawani should obtain environmental clearance under EIA notification 2006 and consents (CTE/CTO) under Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981."*

उपरोक्त समस्त सन्दर्भों पर विस्तृत रूप से प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि अपशिष्ठ के उत्सर्जन में निरंतर रूप से वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस उत्सर्जित अपशिष्ठ का निष्पादन ना होने से पर्यावरण एवं आमजन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही SEAC द्वारा भी इसकी अनुशंसा की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण सम्बंधित दायर याचिका में भी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु कोई भी रोक नहीं लगाई है, **अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के परिपालन एवं प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता, जनहित एवं पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त जानकारी को संतोषप्रद मानते हुए व SEAC की 706 वीं बैठक दिनांक 28.12.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

i. चूँकि परियोजना में ग्रीन रिसोर्सेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक के रूप में है तथा नगर निगम भोपाल द्वारा परियोजना को संचालित किया जा रहा है अतः पर्यावरण स्वीकृति में जारी शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किये जाने की जिम्मेदारी ग्रीन रिसोर्सेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं ग्रीन रिसोर्सेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की अनुपस्थिति या उनके द्वारा द्वारा नॉन कंप्लायंस करने पर संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम भोपाल की होगी।

ii. क्षमता से ज्यादा अपशिष्ट की मात्रा का आकलन होते ही शीघ्र ही निष्पादन की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करे।

iii. परियोजना प्रस्तावक legacy waste के निष्पदान की कार्यवाही शीघ्र कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से फोटोग्राफ सहित प्राधिकरण में प्रस्तुत करे।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

iv. भविष्य में होने वाले उत्सर्जन के निष्पादन हेतु की जा रही योजनाओं का समयबद्ध परिपालन एवं कार्यवाही सुनिश्चित करे और उक्त जानकारी अनुपालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करे।

v. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के निर्णयों एवं संयुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे एवं इसकी जानकरी अनुपालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करे।

vi. परियोजना प्रस्तावक आसपास के पर्यावरण, आवास, प्राकृतिक संसाधन आदि पर परियोजना के गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए उचित उपाय किया जाना सुनिश्चित करें।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

viii. परियोजना परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका निष्पादन भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं किया जाये।

ix. परियोजना पानी की आवश्यकता की पूर्ति नगर निगम भोपाल से से की जाना सुनिश्चित करे।

x. परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

xi. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लियेसमय–समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

xii. अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

xiv. सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

xv. परियोजना से निकलनेवालीदुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये एव आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

c. नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर गंध नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिएउपाय जैसे मिस्ट फिल्ट्रेशन, वेटस्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीनबेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

xvi. SEIAAद्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अध्याधीन रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 706 वीं बैठक दिनांक 28.12.2023 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से Xvi एवं परिशिष्ट–1 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

23. प्रकरण क्र. 9474/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, प्रकाशदीप मिनरल्स, पार्टनर श्री जैयराज सिंह निवासी एल.आई.जी. –3/27/306, नेहरू नगर रीवा जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31946 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 6/1, 13/1 ग्राम हर्रई, तहसील मउगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 819वी बैठक दिनांक 06.12.2023 एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 695वी बैठक दिनांक 21.11.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........*The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.*

In light of the above cases mentioned on S. No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 and 14 are proposed to be deleted, however, the cases in which reply has been submitted i.e. S. No. 2, 5, 9, 10 and 12 shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये। "*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 9028/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि. मायल भवन, 1 –ए कटोल रोड नागपुर (महाराष्ट्र) मैग्नीज ओर माइन, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 1000 टी.पी.ए, खसरा न. 154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2, रकबा 04.42 हेक्टेयर, ग्राम – तिरोड़ी , तहसील तिरोड़ी, जिला –बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 706वी बैठक दिनांक 28.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र में काफी संख्या में वृक्ष परिलक्षित है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक का ई मेल दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है एवं प्रकरण में **SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा निस्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 07.10. 2017 अनुसार 30 वर्ष (21.09.2016 से 20.09.2046 तक) विस्तारित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.09.2046 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

25. प्रकरण क्र. 9029/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि., मायल भवन, 1 –ए कटोल रोड नागपुर (महाराष्ट्र) मैग्नीज ओर माइन, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 200 टी.पी.ए. खसरा न. 204/2, 206/1, रकबा 4.73 हेक्टेयर, ग्राम सीतापटोर तहसील तिरोड़ी जिला –बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 706वी बैठक दिनांक 28.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र में काफी संख्या में वृक्ष परिलक्षित है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक का ई मेल दिनांकं 13.02.2024 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य **करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा निस्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 09.08. 2016 अनुसार 20 वर्ष (01.04.2020 से 30.06.2032 तक) विस्तारित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 9613/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोमती इन्फ्रा एण्ड माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री अरविन्द कुमार, निवासी– मकान नं. 3/777, वास्तु खण्ड–3, गोमती नगर, जिला लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 250000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7.530 हेक्टेयर, खसरा नं. 285, 286, 289, 292, ग्राम बेला, तहसील सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 में ***पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–***

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा **प्रकरण में परिवेश पोर्टल** पर ऑनलाईन प्रस्तुत कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक **17.09.2021 के माध्यम से** अनापत्ति गजानन माईनिंग इण्डिया प्रा.लि. **के नाम से जारी की गई है जबकि प्रकरण मेसर्स गोमती इन्फ्रा एण्ड माईनिंग प्रा.लि.** नाम से है एवं उक्त खनिपट्ट नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत है। अतः आयुक्त नगर निगम ग्वालियर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि क्या उक्त लीज क्षेत्र की गजानन माईनिंग इण्डिया प्रा.लि. के नाम से जारी अनापत्ति को **प्रस्तावित प्रकरण में मान्य किया जा सकता है अथवा नहीं । तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक का ई मेल दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से **उपरोक्त जानकारी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर** विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय अनुसार उक्त लीज क्षेत्र के सम्बन्ध में आयुक्त नगर निगम, ग्वालियर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जयेगा। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

27. Case No 9912/2023: Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5 ,Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) by Smt. Pramila Sharma, Director, M/s Prathvi Eco Care House No. -85 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.). 462026. Cat. – 7(da) Envt. Consultant:M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited, Dhakoli, Zirakpur, Punjab

1. उक्त प्रकरण हेतु SEAC की 649 वीं बैठक दिनांक 07.06.2023 को "ToR प्रदान " किये जाने की अनुशंसा की गई तथा SEAC की अनुशंसा को SEIAA की 792 बैठक दिनांक 20.06.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 797 दिनांक 26.06.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया।
2. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पत्र दिनांक 02.11.23 कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 18/01/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा टीओआर (पत्र क्रमांक 797 दिनांक 26/07/23) जारी किया गया है जिसके परिपालन में संस्था द्वारा लोक सुनवाई हेतु बोर्ड में आवेदन किया गया है।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा CBWTF के स्थापना हेतु गैप एनालिसिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जबकि MPSEIAA द्वारा जारी ToR इसके पूर्व का है।
4. इन सभी पृष्ठ भूमि में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्तमान गैप एनालिसिस 2023 के परिपेक्ष्य में प्रश्नाधीन परियोजना हेतु जारी ToR पर पुनर्विचार हेतु लिखा गया है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्तानुसार चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि परियोजना का ToR SEAC द्वारा अनुशंसित है अतः मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रकरण को गैप एनालिसिस के दृष्टिगत पुनः अनुशंसा हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 10822/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष जायसवाल आत्मज श्री हरिशंकर जायसवाल, निवासी– टैंगोर पार्क कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सेंड 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओव्हरवर्डन–5,306 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.821 हेक्टेयर, खसरा नं. 54/1, ग्राम सस्याखेड़ी, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 मे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में की गई पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक का ई.मेल दिनांक 16.02.2024 द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण में उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सैण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर वर्डेन 5306 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित हो गया है जिसे सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. Case No 703/2012: M/s. Opal Developers Shalimar house, Malviya Nagar, Raj Bhawan RoadBhopal-M.P. Residential project at Plot No/Survey No/Khasra No : 429, 430/1, 400/2, 401/2, 431/1/2, 431/1/3, Bawadiakalan, Teh-Huzur, Distt-Bhopal.Cat. 8(a) Building Construction Project. Extension of validity of EC

प्रकरण पर 827 *SEIAA* बैठक दिनांक 24.01.24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के विस्तार (Extension ofvalidity period) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

1. *इस परियोजना को MPSEIAA द्वारा पत्र क्रमांक 1079/SEIAA/2013 दिनांक 25/06/2013 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी और बाद में संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 1917/SEIAA/2018 दिनांक 09/03/2018 के माध्यम से बिना मूल ईसी की वैधता या किसी अन्य शर्त में परिवर्तन के जारी किया गया था।*
2. *उक्त प्रकरण में SEAC की 709 वीं बैठक दिनांक 27.12.2023 को प्रदान किये जाने की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता एक वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 31 पर अंकित है।*

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

3. *SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को बढ़ाये जाने हेतु प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था,परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 07.02.24 के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा SEAC में आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तुत किया गया है अत :SEAC द्वारा संशोधन प्राप्त होने के उपरांत ही प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विचार किया जाय।*

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए प्रकरण पर SEAC के संशोधन प्राप्त होने तक प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया जाता है। उपरोक्तानुसार SEAC द्वारा प्रकरण को SEAC की 720 वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में संशोधित करते हुए पर्यावरण स्वीकृति को दो साल की validity अनुशंसित की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 39 से पृष्ठ पर अंकित है। अतएव परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के दौरान अनुरोध किया गया है कि MoEF & CC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.11.2020 & 18.01.2021 में Covid के समयावधि में छूट प्रदान की गई है SEAC समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

- *"As per the Extension Notification S. No. 1807 (E) Dated 12.04.2022 and OM dated 27.11.2020 & 18.01.2021 the Validity of the present EC is 25.06.2024.*
- *So, we requested to the SEAC Committee to kindly grant us the Corrigendum in favor of Extension of Validity of EC letter for two years for this case.*

In light of above facts and submission made by consultant before the committee is of the view that considering request of PP and considered for extend the validity for two years for this case".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720 वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में EIA अधिसूचना 2006 एवं संशोधित अधिसूचना S. No. 1807 (E) Dated 12.04.2022 and OM dated 27.11.2020 & 18.01.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 1079/SEIAA/2013 दिनांक 25/06/2013 समयावधि विस्तार एवं वैधता वृद्धि का विस्तार करते हुए दो साल के विस्तार की अनुमति प्रदान की जाती है प्राधिकरण द्वारा पत्र क्र. 1079/SEIAA/2013 दिनांक 25/06/2013 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 10342/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका, प्रो. श्री आनंद गोयनका, निवासी गोयनका भवन, स्टेशन रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मैगनीज ऑर माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार मैगनीज ऑर 3430 टन प्रतिवर्ष से 17010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 8.10, खसरा 523/1, 523/2, 523/3, ग्राम – पौनिया, तहसील – कंटगी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 मे निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

"...समिति के संज्ञान में आया कि 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा टॉर में Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA उल्लेखित हो गया है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA) है ।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को टॉर अनुशंसित Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA के स्थान पर Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा वृस्तित चर्चा एवं विचार एवं (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण में उत्पादन क्षमता विस्तार Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA के स्थान पर Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA पढ़े जाने का जाने का शंसोधन किया जाता है। प्रकरण मे जारी मूल ToR की शेष शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 8099/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, इटालियन मार्बल, पार्टनर श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी गौतम मोहल्ला, जालपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा मार्बल खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 406, 417, ग्राम पोंडी, तहसील धीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 809वी बठक दिनांक 04.10.2023 में SEAC की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, इटालियन मार्बल, पार्टनर श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी गौतम मोहल्ला, जालपा देवी वार्ड, जिला कटनी का ई मेल दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके प्रकरण मे SEAC की 673 वी बैठक एवं 548वी बैठक दिनांक 10.02.2022 में मार्बल एवं सेलबिल वेस्ट 57,390 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त अनुशंसा के दृष्टिगत प्रकरण मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मार्बल एवं सेलबिल वेस्ट उत्पादन क्षमता 57,390 घनमीटर प्रतिवर्ष का संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध एवं SEAC की 673 वी बैठक व 548वी बैठक दिनांक 10.02.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 12.10.2023 में उत्पादन क्षमता मार्बल 14,029 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर, 57,390 घनमीटर प्रतिवर्ष (मार्बल 14,029 एवं सेलेबल वेस्ट 43,361 घनमीटर प्रतिवर्ष) का संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ते यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

32. सिया का पत्र कमांक 2681 दिनांक 29/01/2024 प्रकरण कमांक 10322/2023 की शिकायत प्रेषित की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 को निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

"....सिया के पत्र कमांक 2681 दिनांक 29/01/2024 प्रकरण कमांक 10322/2023 के संबंध में भेजी शिकायत के बारे में समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला देवास से करना उचित होगा।"

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार एवं (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये निर्णय लिया गया कि जिला देवास में रेत खनन के उक्त प्रकरण में प्राप्त शिकायत के दृष्टिगत वास्तविक वस्तुस्थिती से अवगत कराने हेतु कलेक्टर जिला देवास का पत्र प्रेषित किया जाये एवं नदी का पानी उतरने एवं रेत की उपलब्धता के आधार पर प्रकरण मे विचार किया जयेगा। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

33. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला आगर–मालवा

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

" ....जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति द्वारा अनुमोदित की जाकर अद्यतन संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संप्रेषित है।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 720वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 में अनुशंसित कार्यवाही को मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

परिशिष्ट–1

1. The fresh water supply arrangement and NOC from competent authority should be obtained before the execution of the project.
2. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
3. PP should ensure periodic odour monitoring in and around the site, and adopt ecosorb spray to minimize the odour nuisance.

(संजीव सिंह) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

4. Proper road network with concrete road and parking facility should be provided for employees and vehicles being used for collection & disposal of MSW.

5. Waste segregation technology should be explored on the project site.

6. Zero discharge should be maintained regulary.

7. If Bio medical/hazardous waste is found mixed with MSW, then it should be disposed as per Hazardous/Bio Medical Waste Management Rules.

8. No Burning of waste shall be allowed at the MSW site.

9. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

10. PP should ensure harnessing of roof water through recharging pits.

11. PP should establish a lab to monitor air emissions, spot noise level recording, gas quality for landfill area, stack emissions, waste discharge, ground water quality, soil quality etc.

12. A display board should be installed at the entrance gate of the MSW site to provide daily information of the quantity of MSW received during the day and lab analysis report on air, water, noise and odour.

13. Green area including thick green-belt shall be developed to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department.

14. Centralized Material recovery facility for recovering recyclables out of the non biodegradable component of city waste with provisions for screening, manual sorting on a conveyor belt, magnetic separator, bailing, packing and storage facilities.

15. Biodegradable fraction shall be extruded, and converted into bio-gas/electricity using anaerobic bio-methanation technology. The residue/Sludge shall be composted using completely enclosed rotating in-vessel composting drums followed by storage, screening and bagging operation.
16. PP should prioritize the issues related to health and hygiene in complying with the matters related to waste disposal & treatment / air & water pollution / waste-water management.
17. All waste shall be handled under closed sheds with proper lighting and ventilation arrangement.
18. A separate storage shed shall be provided to store RDF, Recyclable & Compost.
19. A separate Tree Mulcher and shredder shall be added to mulch green cuts and garden waste.
20. A proper drainage system shall be provided to convey the wash water & spillage from the existing as well as from the proposed units of the facility, to the proposed ETP.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

There shall be no spill over of such effluent into the Storm water drain. The Storm water drain shall be specifically for the rain water system and it shall be free from any effluent / wash water at any point of time

21. PP hould obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
22. PP should obtain fire NOC from the competent authority before commencing the operation of the unit.

I. **Statutory Compliance:**

i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project (If applicable)
ii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan/Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area) (If applicable)
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.

II Air quality monitoring and preservation

I. Gas generated in the Land fill should be properly collected, monitored and flared.
II. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120'each), covering upwind and downwind directions.

III. Water quality monitoring and preservation

i. Sufficient number of Piezometer wells shall be installed in and around the project site to

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

monitor the ground water quality in consultation with the State Pollution Control Board / CPCB. Trend analysis of ground water quality shall be carried out each season and information shall be submitted to the SPCB and the Regional Office of MoEF&CC.

ii. The depth of the land fill site shall be decided based on the ground water table at the site.

iii. The Company shall ensure proper handling of all spillages by introducing spill control procedures for various chemicals.

iv. A certificate from the competent authority for discharging treated effluent/ untreated effluents into the Public sewer/ disposal/drainage systems along with the final disposal point should be obtained.

IV. Waste management

i. No non-hazardous wastes, as defined under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, shall be handled in the premises.

ii. The solid wastes shall be segregated, managed and disposed as per the norms of the Solid Waste Management Rules, 2016.

iii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

iv. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes should be obtained, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project.

V. Transportation

i. Project should ensure that the site is properly cordoned off from general movement and no unauthorized person or goods permitted to enter the premises. Necessary security provision should be made as a condition in the Authorisation under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 to prevent unwanted access.

ii. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the project site shall be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 02 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 02 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

VI. Public hearing and Human health/safety issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iii. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

VII. Corporate Environment Responsibility

i. The PP shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

ii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with Qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

iv. Self environment audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

Miscellaneous

I. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

II. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

III. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

IV. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष